बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

-:::कार्यालय आदेश:::-

का0आ0-15/बि0स0से0-03-03/2019(खंड) सा0प्र0....56....../,पटना-15, दिनांक 12-02-20

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 35 दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना (क्रम संख्या-01 पर) एवं श्री कुन्दन किशोर, सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (क्रम संख्या-08 पर) को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' एवं ट्यूटर के कॉउन्सिलिंग कार्य हेतु दिनांक 27.01.2020 से 24.02.2020 तक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश में यह अंकित किया गया है कि प्रतिनियुक्त सहायक यदि प्रशिक्षण/अवकाश में हो अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे हो तो विभाग यदि चाहे तो अपने स्तर से किसी अन्य सहायक की प्रतिनियुक्ति करते हुए इस विभाग को सूचित किया जाय।

2. उक्त के आलोक में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक के स्थान पर श्री प्रमोद यादव, सहायक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। श्री यादव द्वारा इस विभाग में अभ्यावेदन समर्पित कर कतिपय कठिनाई के मद्येनजर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 195 दिनांक 31.01.2020 द्वारा श्री कुन्दन किशोर, सहायक के स्थान पर श्री सोनू कुमार रंजन, सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध इस विभाग से किया गया है।

4. उपर्युक्त के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में स्टाफ नर्स 'ए' एवं ट्यूटर के कॉउन्सिलिंग कार्य में सहयोग हेतु श्री कुन्दन किशोर, सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर सोनू कुमार रंजन, सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना तथा श्री प्रमोद यादव, सहायक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर श्री संतोष कुमार, सहायक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को आदेश निर्गत की अगली तिथि से दिनांक 24.02.2020 तक प्रतिनियुक्त जाता है।

5. उक्त में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11/2/2020

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-03/2019(खंड) सा0प्र0....56......../,पटना-15, दिनांक 12-02-20

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/शिक्षा विभाग/वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना एवं संबंधित सहायकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिनियुक्त सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे आयोग कार्यालय में आदेश निर्गत की तिथि के अगले दिन स्वतः विरमित होकर योगदान करना सुनिश्चित करेंगें।

11/2/2020

सरकार के अवर सचिव।